तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU

(Established by an Act of Parliament, 2009)

नीलक्कुडीपरिसर/Neelakudi

Campus, कंगलान्चेरी/Kangalancherry, तिरुवारूर/Thiruvarur- 610 005

तमिलनाडु, भारत/Tamil Nadu, India

तकेंवि/हिं.अ-41/2018 दिनांक –08.12.2020

परिपत्र/CIRCULAR

भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि, इस धारा के अंतर्गत आने वाले - संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, निविदा, परिपत्र एवं अन्य स्थायी किस्म के दस्तावेज; सभी कागजात द्विभाषी(हिंदी और अंग्रेजी) रूप में निर्मित/जारी किये जाएं।

In order to ensure the compliance of Section 3 (3) of the Official Language Act of 1963, it is obligatory that the documents under this section - Resolution, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and other Reports, Press Releases, Notices, Tender, Circulars and other permanent types of documents; All papers should be formed/issued in bilingual (Hindi and English)form only.

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) की मद संख्या 10 में यह भी लिखा गया है कि हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी उसी क्रम में प्रयोग की जानी चाहिए।

Also as per item no. 10 in Section 3(3) of the Official Language Act of 1963, In non-Hindi speaking States, respective Regional Language, Hindi and English should be used in this order for boards, sign boards, name plates and directional indicators.

8/12/2020

अतः सभी विभागों / अनुभागों के नियंत्रण अधिकारी/उक्त कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह सूचित किया जाता है कि, अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करे लें कि, उक्त संबंधित दस्तावेज द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में निर्मित/जारी किये जा रहे हैं।

Therefore, it is hereby informed to all the Department's/section's controlling officers / Signatories of the said documents to ensure at their level that the said documents are being formed/issued in bilingual/trilingual form only.

इस संबंध में किसी भी अपेक्षित सहयोग हेतु राजभाषा अनुभाग से संपर्क कर राजभाषा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Official Language section may be contacted for assistance on this matter so as to enable us to comply the Official Language Implementation Act.

8/12/2020

कुलसचिव/Registrar

डॉ. एस. भुवनेश्वरी / Dr. S. Bhuvaneswari
कुलसचिव / Registrar
तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Tamil Nadu
तिरुवारुर / Thiruvarur - 610 005.

प्रति / To–

1. कुलपति के निजी सचिव /PA TO VC
2. कुल सचिव के निजी सचिव / PA TO REGISTRAR
3. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक /FO/COE
4. संयुक्त/सहायक कुल सचिव/ JOIN/ASSISTANT REGISTRAR
5. सभी विभागों के प्रमुख (शैक्षिक/गैर-शैक्षिक) /ALL DEPARTMENT HEADS(TEACHING/NON TEACHING)
6. अधिकारी/ OFFICERS
7. सू.प्रौ विभाग (ई-परिपत्र हेतु)/IT DEPARTMENT (FOR E CIRCULAR)